

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 21 जून, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 06 वर्ष 2017)" की धारा 146 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, रजिस्ट्रीकरण, कर के संदाय, विवरणियों को प्रस्तुत करने, समेकित कर के संगणन और निपटान और इलैक्ट्रॉनिक वे बिल को सुकर बनाने के लिए समान माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में www.gst.gov.in को अधिसूचित करने की सहष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए www.gst.gov.in से माल और सेवा कर नेटवर्क, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबन्धों के अधीन निर्गमित एक कम्पनी है, के द्वारा प्रबन्धित वैबसाइट अभिप्रेत है।

2— यह अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2017 से प्रवृत्त होगी।

(राधा रत्नाली)
प्रमुख सचिव।

सं0495/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियों वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3—भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4—अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5—एन0आई0सी0
6—गार्ड फाईल हेतु।

2793
22/06/2017

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त-वित्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव।

26/06/2017

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 495/ 2017/ 9(120)/XXVII(8)/ 2017 dated 21 June, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No 495/2017/ 9(120)/XXVII(8)/2017
Dehradun :: Dated :: 21 June, 2017

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 146 of the "Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017)", the Governor is pleased to allow to notify www.gst.gov.in as the Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration, payment of tax, furnishing of returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill.

Explanation: For the purposes of this notification, "www.gst.gov.in" means the website managed by the Goods and Services Tax Network, a company incorporated under the provisions of section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

2. This notification shall come into force from the 22nd day of June, 2017.


(Radha Raturi)
Principal Secretary